

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) सहमति/असहमति हेतु प्रपत्र

वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम –			
कार्मिक का नाम –		पिता का नाम –	
कार्मिक की जन्म तिथि –		मो. न. –	
राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय Application No. –			
आवेदित (मूल) पद –		आवेदित (मूल) विषय –	

क्या आप राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में भाग लेकर अपना जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) करवाना चाहते हैं? –

1. हाँ (नोट—इस विकल्प का चयन करने पर आपको जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा।
2. नहीं (नोट—इस विकल्प का चयन करने पर आपको जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा तथा आप वर्तमान में कार्यरत जिला एवं विद्यालय में ही कार्यरत रहेगे तथा आप कभी भी जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में आपकी असहमति उपरान्त शामिल नहीं किये जाने के लिए कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

—कार्मिक घोषणा —

मैं पुत्र श्री घोषण करता हूँ कि मैं राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में भाग लेकर/नहीं लेकर अपना जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) करवाना/नहीं करवाना चाहता/चाहती हूँ।

(नोट:— जो लागू नहीं हो उसे काटें)

संबंधित पीईईओ/संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर
स्थान—

कार्मिक का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक –

(नोट:— राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय द्वारा विद्यालय में कार्यरत उपरोक्त शपथ पत्र को कार्मिक द्वारा भरकर संबंधित पीईईओ/मा.शि. के विद्यालय के संस्थाप्रधान को जमा करवाना अनिवार्य है। संबंधित पीईईओ/मा.शि. के विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित मॉड्यूल में संबंधित कार्मिक द्वारा जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में दी गई सहमति/असहमति प्रविष्ट करने के पश्चात् संबंधित पीईईओ/मा.शि. के विद्यालय के संस्थाप्रधान के मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से लॉक किया जाना अनिवार्य है। तथा कार्मिक द्वारा दिए गये प्रारूप को कार्मिक की व्यक्तिगत फाईल में अनिवार्यतः संधारित किया जाना है।)